

दावातः 408
18/6/18

निर्णयित
18/6/18

कृष्णा लोक अदालत अभियान

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कौसा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) रत्नावती

क्रमांक :- कैम्प कोर्ट/18/4349


आदेश

दिनांक :- 18/6/18

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रत्नावती व भू.अ.नि. मुरलपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कौसा/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मुरलपुर तहसील कौसा व जिला कौसा की जमाबन्दी सम्वत् 1873-76 में खाता संख्या 148, 154, 156 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	भगलाडी	148	हीरालाल पुत्र	हीरालाल पुत्र
2.	"	154	रेवडिया	श्यारसी माता
3.	"	156		



पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर, कौसा

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

2018
00736